

जय विनायक शिक्षा समिति, सीकर

पंजीयन क्रमांक - 136सीकर/2004-2005

विधान संशोधन का तुलनात्मक स्टेटमेन्ट

क्र. सं.	विधान की धारा संख्या	पंजीकृत विधान का नियम	विधान में संशोधित किया गया नियम (नया नियम)
1	3	उद्देश्यों की संख्या 11	उद्देश्यों की संख्या 29
1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।		1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।	1. बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से प्रवेश देना।
2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।		2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।	2. उचित शिक्षा द्वारा सभी विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक तथा शैक्षिक विकास करना।
3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।		3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	3. बालकों में देश, समाज तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।		4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।	4. बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के अनुसार शारीरिक शिक्षा एवं खेलों की व्यवस्था करना।
5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।		5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।	5. पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था से बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ाना।
6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।		6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।	6. नैतिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक शिक्षा द्वारा देश के आदर्श नागरिक तैयार करना।
7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।		7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।	7. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए आदर्शोन्मुख शिक्षा की व्यवस्था करना।
8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।		8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।	8. मन्दबुद्धि बालकों को विशेष उपकरणों द्वारा शिक्षा प्रदान कर उनके शिक्षण स्तर को बढ़ाना।
9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।		9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।	9. बच्चों में देश, समाज एवं मातृभूमि के प्रति प्रेम उत्पन्न करना।
10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।		10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।	10. बच्चों को महापुरुषों की जीवनियाँ बताकर लक्ष्य का ज्ञान कराना।
11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।		11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।	11. शहीदों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर शहीदों को श्रद्धान्जलि देना।
		12. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठक्रम हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना।	12. शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठक्रम हिन्दी व अंग्रेजी माध्यम के द्वारा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करना।
		13. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदा कर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास।	13. मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जागृति पैदा कर बौद्धिक एवं शारीरिक विकास।
		14. वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल-कूद की व्यवस्था करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन।	14. वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन, खेल-कूद की व्यवस्था करना तथा योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन।
		15. छात्रों एवं अध्यापकों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणिक संस्थान स्थापित करना एवं उनको प्रशिक्षित करना।	15. छात्रों एवं अध्यापकों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने के लिए प्रशिक्षणिक संस्थान स्थापित करना एवं उनको प्रशिक्षित करना।
		16. छात्रावास, पुस्तकालय तथा प्रोढ़ शिक्षा का प्रबन्ध एवं संचालन करना।	16. छात्रावास, पुस्तकालय तथा प्रोढ़ शिक्षा का प्रबन्ध एवं संचालन करना।
		17. कला, उद्योग एवं विज्ञान की शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।	17. कला, उद्योग एवं विज्ञान की शिक्षा तथा संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य कार्य करना।
		18. ग्रामिण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार छात्राओं एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को प्रोत्साहन।	18. ग्रामिण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार छात्राओं एवं पिछड़ी जातियों के छात्रों को प्रोत्साहन।
		19. सरकार (राज्य व केन्द्र) की ओर से जनकल्याण के लिये संचालित योजनाओं में सहभागिता के आधार पर योजनाएँ संचालित करना।	19. सरकार (राज्य व केन्द्र) की ओर से जनकल्याण के लिये संचालित योजनाओं में सहभागिता के आधार पर योजनाएँ संचालित करना।

प्रमाणित किया जाता है कि
दस्तावेज संस्था की पत्रावली
में संचालित है।

28/11/17
सिस्टम इन चार्ज, सीकर

Chairman
Chairman

Jai Vinayak Shiksha Samiti, SIKAR

Treasurer
Treasurer

Jai Vinayak Shiksha Samiti, SIKAR

Secretary
Secretary

Jai Vinayak Shiksha Samiti
Shastri Nagar, Ranisati Road, SIKAR